न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुरसिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
9 / 2023	1.2.2023	20.12.2024

आशा देवी धर्मपत्नी विजय शंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मूर्ति मोहल्ला गंगापुर सिटी ——वादिया

बनाम

1. सीता देवी धर्मपत्नी बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी पुरानी अनाज मंडी, सोसायटी के पास, गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी——प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक खातेदारी टीनेन्सी, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :— श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री सत्यनारायण उपाध्याय, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1 की ओरसे

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बाढकलां में आराजी हाल बन्दोवस्त ख0नं0 369 / 275 रकबा 0.13 है0 स्थित है जिसकी काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट वादिया है। उक्त भूमि को वादिया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। भूमि ख0नं0 368 / 275 रकबा 0.05 है0 का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादिया नं0 1 के नाम रिकार्ड में दर्ज है। भूमि ख0नं0 368 / 275 व 369 / 275 एडजाइनिंग भूमि है इनकी सीमा मिली हुई है। नक्शा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बरों की तरमीम विधि अनुसार की जाकर नक्शा ट्रेस में मुताबिक कब्जे व मौके अनुसार किया जाना आवश्यक है। वादिया ख0नं0 369 / 275 रकबा 0.13 है0 ग्राम बाढकलां पर काबिज है, महज नक्शा ट्रेस में तरमीम सही नहीं होने के कारण आपसी विवाद होने की संभावना है। नक्शा ट्रेस में हाल ख0नं0 369 / 275 की तरमीम जानिव दिशा दक्षिण की जावे जोकि ख0नं0 351 / 275 की सीमा से लगता हुआ है व ख0नं0 368 / 275 की तरमीम रकबा 0.05 है0 जानिव दिशा उत्तर की जावे। रिकार्ड में तरमीम सही नहीं होने के कारण आए दिन वादिया को झगडे—फसाद होने की सं[illegible]हती है। वादिया ने कितनी ही मर्तबा प्रतिवादिया को तरमीम [illegible] कहा तो वह टालमटोल करके समय गुजारती रही व [illegible] 2023 को मना कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा ब[illegible] वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर का डिक्री फरमाते हुए घोषित फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:45 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

369/275 रकबा 0.13 है0 ग्राम बाढकलां की तरमीम नक्शा ट्रेस में जानिव दिशा दक्षिण की हाल ख0नं0 351/275 की सीमा से लगती हुई की जावे। हाल ख0नं0 368/275 रकबा 0.05 है0 ग्राम बाढकलां की तरमीम जानिव दिशा उत्तर की जावे। इसी अनुसार कागजात सरकार लैण्ड रिकार्ड में बहक वादिया इन्द्राज खातेदारी की दुरूस्ती की जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 152, 122 ग्राम बाढकलां, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 2.8.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।

राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि ग्राम बाढकलां में आराजी ख0नं0 369/275 रकबा 0.13 है0 स्थित है जिसकी काबिज काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट वादिया है। ख0नं0 368/275 रकबा 0.05 है0 का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादिया नं0 1 के नाम दर्ज है। ये दोनों नम्बरों की भूमि एडजाइनिंग भूमि है, इनकी सीमा मिली हुई है। वादिया ख0नं0 369/275 रकबा 0.13 है0 पर काबिज है, महज नक्शा ट्रेस में तरमीम सही नहीं है। नक्शा ट्रेस में हाल ख0नं0 369/275 की तरमीम जानिव दिशा दक्षिण की जावे जो कि खसरा नम्बर 351/275 की सीमा से लगता हुआ है व ख0नं0 368/275 रकबा 0.05 है0 की तरमीम जानिव दिशा उत्तर की जावे। ऐसा किए जाने में मुझ प्रतिवादिया सं0 1 को कोई आपत्ती नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि नक्शा ट्रेस में उपरोक्तानुसार तरमीम की जाकर लैण्ड रिकार्ड रेवन्यू में बहक वादिया इन्द्राज खातेदारी कीदुरूस्ती की जावे। वादिया का वाद डिक्री फरमा दिया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में राजीनामा अनुसार वादिया का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादिया उसकी खातेदारी में दर्ज भूमि ख0नं0 369/275 की तरमीम नक्शा ट्रेस में वर्तमान ख0नं0 351/275 के लगती हुई दक्षिण दिशा की ओर

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

करवाना चाहती है एवं प्रतिवादिया नं0 1 के ख0नं0 368/275 की तरमीम जानिब दिशा उत्तर की ओर करवाना चाहती है। वादिया ने जो नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है उसमें ख0नं0 368/275 दर्ज नहीं है इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ख0नं0 368/275 की तरमीम वर्तमान नक्शा ट्रेस में किस स्थान पर है एवं वादिया ने अपने वादपत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसके नाम ख0नं0 369/275 की नक्शा ट्रेस में तरमीम किस आधार पर हुई है। इस प्रकार वादिया की ओर से वादपत्र अपर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:45 IST
Reason: SelfAttested